राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. : 39/2024
जीसीएमएस नम्बर : 2024/374

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. : 39/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/374

प्रार्थीगण :–

1. ओमप्रकाश दांतीवाडा पुत्र श्री मांगीलाल जी जाति सैन निवासी ग्राम दांतीवाडा, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भीखाराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी दांतीवाडा तहसील व जिला जोधपुर।
2. चन्द्राराम पुत्र पुराराम जाति जाट निवासी दांतीवाडा तहसील व जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार जोधपुर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी स्वंय।
2. श्री अशोक चौधरी अप्रार्थी अधिवक्ता।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 उपधारा 4 के तहत तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/77/1464 दिनांक 05.11.1977 व नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 07.11.1977 को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

– : : आदेश : : – दिनांक : 24/4/26

प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 14 उपधारा 4 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक राजस्व/77/1464 दिनांक 05.11.1977 व नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 07.11.1977 द्वारा ग्राम दांतीवाडा के खसरा संख्या 134 रकबा 19.19 बीघा तथा खसरा संख्या 355 रकबा 16.13 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। मूल आवंटी भंवराराम, नोजाराम पुत्र गोराराम व छोगाराम, ढगलाराम पुत्र पंछीराम कौम भाट, के बारे में पुछताछ व विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मूल आवंटी फौत हो चुके है एंव उपरोक्त वर्णित संयुक्त परिवार का एक भी सदस्य वर्तमान में ग्राम दांतीवाड़ा में निवास नहीं कर रहा है उक्त परिवार भूमि आवंटन से पूर्व भारत के किस राज्य में निवास करता था इसका किसी ग्रामवासी को मालूम नहीं है, उक्त भूमि आवंटन से कुछ वर्ष पहले अस्थाई रूप से इस ग्राम में आकर निवास करने लगे एवं राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिली भक्त कर उक्त खसरान की भूमि का आवंटन कपट से तहसीलदार से करवा लिया गया एवं कपट से हत्यायी गई भूमि को गोपनीय रूप से भू–माफिया को बेचान कर रातो रात कंही चले गये । इस प्रकार छल व पकट

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

से करवाये गये भूमि आवंटन को निरस्त फरमावे। ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 134 रकबा 19.19 बीघा व खसरा संख्या 355 रकबा 16.13 बीघा भूमि पर विक्रम संवत 2020 से लगातार 2034 तक अर्थात तहसीलदार जोधपुर के आदेश राजस्व / 77 / 1464 दिनांक 05.11.77 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दर्ज नामान्तकरण संख्या 373 दिनांक 05.11.77 तक खसरा परिवर्तनशील जमा निरर्थाण तथा अस्थाई कृषि / हल्का पटवारी की धारा 91 के तहत रिपोर्ट दर्ज नहीं है इससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर इन आवंटी आसामियों को पूर्व में मौके पर किसी प्रकार का कब्जा व काश्त नहीं की गई है, इस हेतु उक्त आवंटन खारिज फरमाने का कष्ट करें। ग्राम दांतीवाड़ा की सम्पूर्ण नामान्तरकरण पुस्तिकाओं में दर्ज नामान्तकरण संख्या एक से लगातार आज दिनांक तक दर्ज सम्पूर्ण नामान्तरकरणों का हल्का पटवारी से अवलोकन किया परन्तु उक्त नामान्तरण पुस्तिकाओं में आवंटियों के नाम का एक मात्र खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 373 ही दर्ज किया गया उपलब्ध पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटियों के नाम का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि उक्त खसरानों की भूमि पर इन आवंटियों का पूर्व में कब्जा काश्त नहीं रहा था एवं सीधी ही खातेदारी दी गई जो राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 की आवंटन शर्तों के विपरीत है। नियम 14 आवंटन की शर्तों (1), इन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन 10 वर्षों के पश्चात अन्ततः खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के अधिकार के साथ गैर खातेदारी पर होगा, बशर्ते की आवंटित इस कालावधि के दौरान जब तक खातेदारी अधिकार प्रदान न कर दिये जाये, आवंटन के निबन्धन एवं शर्ते पूरी करे। आवंटिति काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदारी आसामी के समस्त अधिकारों एवं दायित्वों के अधीन होगा। इस प्रकार उक्त आवंटियों का आवंटन विधि विरूद्ध करते हुए खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 373 दर्ज किया गया, को खारिज फरमाने का कष्ट करावें । श्रीमान उक्त खसरानों की भूमि आवंटन के समय आवंटिति छोगाराम, ढगलाराम पुत्र पंछीराम अव्यस्क थे तो इनके नाम उक्त खसरान भूमि कैसे आवंटन की जा सकती है क्योंकि भूमि आवंटन की शर्ते "नियम 11 (क) के अन्तर्गत किसी अवयस्क के पक्ष में कोई भी आवंटन नहीं किया जायेगा" इस हेतु उक्त आवंटन को खारिज फरमाने का कष्ट करावें।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 में आवंटन की शर्तों के अन्तर्गत "उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा निरसन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की जिला कलेक्टर को शक्ति होगी, आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी शर्त को भंग किया हो" उपरोक्तानुसार दर्शाये गये तथ्य यह स्पष्ट करते है कि उक्त आवंटन कपट व छल से करवाया गया है, इस हेतु उक्त आवंटन खारिज करवाने का कष्ट फरमावें। श्रीमान उक्त आवंटन भूमि का खसरा संख्या 355 रकबा 16.13 बीघा भूमि वर्तमान जमाबंदी चौसाले में भूमि की किस्म बारानी कृषि भूमि अंकन है परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि बगैर संपरिवर्तन कराये उक्त कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग वाणिज्यिक गतिविधियों में विधि विरूद्ध लिया जा रहा है जो कि गैर कृषि प्रयोजनार्थ है। कृषि प्रयोजनार्थ हेतु आवंटित भूमि को बगैर संपरिवर्तन किये गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग करने पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत नियम 8 (क) के तहत उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा पुनर्ग्रहित की जायेगी बशर्ते की उक्त आवंटन की शर्तों के सर्वथा अनुरूप उस पर कृषि नहीं की गई है और समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया है। श्रीमान उक्त आवंटिति भंवरराम पुत्र गौराराम के नाम पूर्व में इसी ग्राम के खसरा संख्या 127 में से 12 बीघा भूमि आवंटन कर दी गयी थी जिसका नामान्तकरण संख्या 310 दिनांक 09.12.76 को दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है परन्तु भंवरराम ने उक्त तथ्य को छुपाकर व तत्कालीन हल्का पटवारी से मिली भक्त कर नियम विरूद्ध छल व कपट से इसी ग्राम के खसरा संख्या 134 रकबा 19.19 बीघा व खसरा संख्या 355 रकबा 16.13 बीघा कुल रकबा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

उल्लेखित करना आवश्यक है कि प्रार्थी के पास जब आमदनी का साधन/कार्य नहीं था, तब प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की रकबा 10 बीघा भूमि अप्रार्थी को बेचान की थी और प्रार्थी ने सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त करके बेचाननामा विधिवत निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दिया। कुछ समय के पश्चात् उक्त बेचान की गई भूमि को पुनः हड़पने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस थाना उदयमन्दिर, जोधपुर में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया, बाद जांच पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में एफ. आर. प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जो बेचाननामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया था, उसे निरस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने अपनी बहनो के मार्फत एक वाद भी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसकी अपील आज भी अपर जिला न्यायालय संख्या 06, जोधपुर महानगर में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थी को जब यह ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा खरीद कर ली गई है, तब प्रार्थी के द्वारा द्वेष भावना के चलते उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी के द्वारा आंवटन निरस्ती का एकमात्र कारण यह बताया है कि उक्त आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि को गैर खातेदारी की दर्ज नहीं करके सीधे ही खातेदारी की भूमि दर्ज कर ली गई, इससे आवंटन में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आवंटन निरस्ती का कोई उचित कारण दर्ज नहीं किये जाने एवं प्रार्थना पत्र लम्बे समय की समयावधि के पश्चात् म्याद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आपत्तिया व जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्तिया व जवाब प्रार्थना पत्र को रेकर्ड पर लिया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज़ किये जाने का निवेदन किया है। बहस वकुलाय सुनी गयी।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रारंभिक आपत्तिंया व जवाब तथा बहस वकुलाय, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थी स्वंय का उक्त आवंटित भूमि या आवंटिति से कोई संबध नहीं है तथा उक्त आवंटन दिनांक 05.11.1977 को पूर्णतया नियमानुसार किया गया जिसको खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.2018 को 41 वर्ष की अत्यधिक लम्बी अवधि के पश्चात, देरी का उचित कारण बताये बिना म्याद बाधित प्रस्तुत किया है, जो कि विचारणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को आर.टी.आई कार्यकर्ता बताते हुए एंव रूपये एंठने का दबाव बनाने हेतु उक्त प्रकरण पेश किया जाना बताया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को स्वंय की 10 बीघा भूमि बेचान किये जाने, बैचाननामा निष्पादित किये जाने के पश्चात उक्त भूमि पुनः हडपने हेतु पुलिस कार्यवाही करने एंव जिला न्यायालय संख्या 06 में अपील विचाराधीन होना भी बताया। इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थी से व्यक्तिगत द्वेष भाव रखने के कारण एंव स्वंय का उक्त आवंटित भूमि से कोई संबध नहीं होने, ना ही कोई हित प्रभावित होने के बावजूद अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण पेश किया गया है, जो कि सारहीन है। प्रार्थी द्वारा

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

उक्त आवंटन के विधि विरूद्ध होने के संबध में एकमात्र कारण यह बताया है कि उक्त आवंटन के पश्चात उक्त भूमि को गैर खातेदारी की दर्ज नहीं करके सीधे ही खातेदारी की भूमि दर्ज कर ली गई है तो इसमें अप्रार्थीगण का कोई हस्तक्षेप या आवंटन की अनियमितता प्रमाणित नहीं होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 24/4/26 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर, (द्वितीय)
जोधपुर